न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, बलरामपुर।

परिवाद संख्या–67/2019

कम्प्यूटरीकृत नम्बर 80/2019

सी0एन0आर0नं0– यू0पी0बी0पी0–010004202019

श्रीमती कृष्णावती बनाम बेचू आदि।

दिनांक 06–08–2019

पत्रावली पेश हुई। परिवादिनी के अधिवक्ता उपस्थित।

तलबी के विन्दु पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली अवलोकन किया।

परिवादपत्र के अनुसार संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि परिवादिनी एक अनुसूचित जाति धोबी की गरीब विकलांग महिला है। दिनांक 31–12–2017 को समय करीब 04:00 बजे शाम को बच्चों के रोड़ा फेकने की बात को लेकर विपक्षीगण बेचू मौर्या, रमेश व निर्मला देवी बुरी–बुरी जाति–सूचक शब्द धोबिन साली मादरचोद की गाली देते हेए परिवादिनी के घर में घुस आये और लाठी, डण्डा, लात, मुक्का,थप्पड़ व घूसों से मारने–पीटने लगे। परिवादिनी का कपड़ा खुल गया। परिवादिनी नग्न हो गयी और अपना कपड़ा ठीक करने लगी तो विपक्षिनी सं0 3 निर्मला देवी परिवादिनी के मुॅह पर ईट से मारा, जिससे परिवादिनी को चोटें आयीं। परिवादिनी अपना जान बचाने के लिए हल्ला गोहार की तो परिवादिनी की लड़की मौशिल्या, पति लल्लू प्रसाद व गांव के तमाम लोग आये और बीच–बचाव कराये। विपक्षीगण जान माल की धमकी देते हुए भाग गये। परिवादिनी घटना की सूचना थाने पर दी। घटना के सम्बन्ध में थाने की पुलिस न तो परिवादिनी की रिपोर्ट लिखी और न ही शरीर पर आयी चोटों का डाक्टी मुआयना कराया। परिवादिनी स्वयं अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल बलरामपुर में करायी। परिवादिनी घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के लिए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 04–01–2018 को प्रार्थना–पत्र प्रेषित की, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब न्यायालय में अभियोगपत्र अन्तर्गत धारा 452, 323, 504, 506, 354 ख भा0दं0सं0 व धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 दिया जाना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना है कि परिवादिनी का अभियोग पत्र स्वीकार करते हुए उपरोक्त मामले के सम्बन्ध में साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त विपक्षीगण को उपरोक्त धाराओं में तलब करने की कृपा करें।

परिवादिनी की ओर से परिवादिनी श्रीमती कृष्णावती का बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 तथा गवाहान पी0 डब्लू0—1 लल्लू प्रसाद तथा पी0 डब्लू0—2 कौशिल्या का बयान अन्तर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 अंकित कराया गया तथा अभिलेखीय साक्ष्य में स्वयं का शपथ—पत्र, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को भेजे गये प्रार्थना—पत्र की कार्बन प्रति, मूल रजिस्ट्री रसीद, आधार कार्ड की छाया प्रति तथा मूल चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल किया है।

परिवादपत्र में वर्णित तथ्यों, परिवादिनी के बयान धारा 200 द0प्र0सं0 तथा उपरोक्त गवाहों के बयान तथा प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण बेचू, रमेश तथा श्रीमती निर्मला के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अपराध बनना पाया जाता है। तद्नुसार उपरोक्त विपक्षीगण उपरोक्त धाराओं में विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

विपक्षीगण बेचू, रमेश तथा श्रीमती निर्मला को धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में विचारण हेतु बजरिये सम्मन दिनांक 31—08—2019 नियत कर तलब किये जायें। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिमान दिनांक 31—08—2019 को पेश हो। परिवादिनी पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

दिनांक 06—08—2019

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश
बलरामपुर।